

Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 184-2016/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, NOVEMBER 15, 2016 (KARTIKA 24, 1938 SAKA)

हरियाणा सरकार

विद्युत विभाग

आदेश

दिनांक 15 नवम्बर, 2016

संख्या 26/4/1999—2 विद्युत.— भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 7 के उप—नियम (2) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में तथा हरियाणा सरकार, विद्युत विभाग, अधिसूचना संख्या 26/4/1999—2 विद्युत, दिनांक 29 अगस्त, 2013 के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, विद्युत संस्थापनाओं से सम्बन्धित निरीक्षण, परीक्षण के लिए तथा अपील पर निर्णय के लिए फीसों के निम्नलिखित मापक्रम का उदग्रहण करने के निदेश देते हैं:—

मापक्रम क

किसी उत्पादन केन्द्र, प्राप्त केन्द्र या अन्य स्थान जिसमें 100 वोल्ट या अधिक के दबाव पर उर्जा उत्पादित, अंतरित या वितरित की जाती है, का निरीक्षण, परीक्षण या जांच के लिए।

प्रत्येक संस्थापन के लिए निम्न, मध्यम, उच्च वोल्टता तथा अतिरिक्त उच्च वोल्टता संस्थापनाएं:-

1	15 किलोवोल्ट एम्पेयर तक तथा सहित सम्बद्ध भार / स्थापना क्षमता	175 / — रुपये
2	15 किलोवोल्ट एम्पेयर से अधिक सम्बद्ध भार / स्थापना क्षमता किन्तु 25 किलोवोल्ट एम्पेयर से	360 / -रुपये
	अनिधक	
3	25 किलोवोल्ट एम्पेयर से अधिक सम्बद्ध भार / स्थापना क्षमता किन्तु 100 किलोवोल्ट एम्पेयर से	700 / -रुपये
	अनिधक	
4	100 किलोवोल्ट एम्पेयर से अधिक सम्बद्ध भार / स्थापना क्षमता किन्तु 500 किलोवोल्ट एम्पेयर	1730 / -रुपये
	से अनिधक	
5	500 किलोवोल्ट एम्पेयर से अधिक सम्बद्ध भार / स्थापना क्षमता किन्तु 1000 किलोवोल्ट एम्पेयर	3460 / -रुपये
	से अनिधक	
6	1000 किलोवोल्ट एम्पेयर से अधिक सम्बद्ध भार / स्थापना क्षमता	प्रति अतिरिक्त 100
		किलोवोल्ट एम्पेयर
		या उसका भाग
		3460 +
		75 रुपये

` '	उस की क्षमता को बढ़ाए बिना किसी संस्थापन में प्रत्येक प्रत्यावर्तन या प्रतिस्थापन के लिए	175 / रुपये
(ख)	उत्पादन केन्द्र या अन्य स्थान के मामले में जहाँ विद्युत उर्जा उत्पादित की जाती है, वहां फीस अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा भुगतान की जाएगी, या प्राप्त केन्द्र में उर्जा उत्पादन करने वाले व्यक्ति की दशा में, फीस स्वामियों द्वारा भुगतान की जाएगी	

मापक्रम ख

मौके पर कार्यान्वित अतिरिक्त उच्च वोल्टता, उच्च वोल्टता, मध्यम तथा निम्न वोल्टता लाइनों के निरीक्षण, जॉच या परीक्षण के लिए

Ī	(i)	2 किलोमीटर की लम्बाई तक तथा सहित लाइन के लिए	350 / —रुपये
Ī	(ii)	लाइन की 1 किलोमीटर की प्रत्येक अतिरिक्त लम्बाई या उसके किसी भाग के लिए	40 / —रुपये

मापक्रम ग

भारतीय	विद्युत नियम,	1956 के वि	नेयम 82 (3)	के अधीन	प्रमाणपत्र के	निरीक्षण	तथा जारी क	रने के लिए	210 / -रुपये

फीस व्यक्ति द्वारा भुगतान की जाएगी जो नए निर्माण या संरचना परिनिर्माण करने या किसी निर्माण या किसी संरचना में या पर कोई परिवर्धन या परिवर्तन करने के लिए प्रस्ताव करता है।

मापक्रम घ कर्जा मीटर के परीक्षण के लिए

1	सिंगल फेस मीटर का परीक्षण	
(i)	50 एम्पेयर तक तथा सहित	85 / -रुपये
(ii)	50 एम्पेयर से अधिक	110 / -रुपये
2.	पौली फेस मीटर परीक्षण के लिए	
(i)	50 एम्पेयर तक तथा सहित	160 / —रुपये
(ii)	50 एम्पेयर से अधिक	210 / -रुपये

^{3.} यदि मीटर उपभोक्ता के परिसर पर परीक्षित किया जाता है, तो खण्ड 1 तथा 2 में विहित फीस की दुगनी राशि प्रभारित की जाएगी। फीस पक्षकार द्वारा भुगतान की जाएगी, जो परीक्षण के लिए अनुरोध करता है।

मापक्रम ङ

निम्नलिखित के सम्बन्ध में आवेदक के परिसरों पर दबाव परीक्षण करने के लिए

(i)	निम्न दबाव संस्थापन	175 / —रुपये
(ii)	मध्य दबाव संस्थापन	350 / -रुपये
(iii	उच्च दबाव संस्थापन	700 /-रुपये

मापक्रम च

	निम्न दबाव, मध्यम दबाव तथा उच्च दबाव संस्थापनाओं के सम्बन्ध में भारतीय विद्युत नियम,	175 / -रुपये
	1956 के नियम 6 (1) के अधीन अपील पर निर्णय देने के लिए,	
2	निम्न दबाव, मध्यम दबाव तथा उच्च दबाव संस्थापनाओं के सम्बन्ध में भारतीय विद्युत नियम,	350 / -रुपये
	1956 के नियम 52 (1) के अधीन अपील पर निर्णय देने के लिए।	

टिप्पणी

- 1. यदि प्रारम्भिक निरीक्षण के परिणाम के अनुसार द्वितीय या पश्चात्वर्ती निरीक्षण आवश्यक है, तो पुनः निरीक्षण फीस प्रारम्भिक निरीक्षण के लिए प्रभारित फीस की राशि के दुगुनी तक होगी किन्तु किसी भी मामले में प्रारम्भिक निरीक्षण फीस से कम नहीं होगी।
- 2. किलोवोल्ट से किलोवोल्ट एम्पेयर से सम्बद्ध भार प्रवर्तित करने के लिए उस समय विद्युत उपयोगिता में चालू विद्युत गुणक को निरीक्षण फीस की संगणना के प्रयोजन के लिए हिसाब में लिया जाएगा।
- 3. पुनरीक्षित दरें उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से लागू होंगी।
- 4. ये पुनरीक्षित दरें इन दरों के लागू होने की तिथि से प्रत्येक तीन वर्ष के बाद 20 प्रतिशत तक आगे बढ़ाई जाएंगी।

अनुराग रस्तोगी, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, विद्युत विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

POWER DEPARTMENT

Order

The 15th November, 2016

No. 26/4/1999-2 Power.— In pursuance of the provisions contained in Sub-rule (2) of Rule 7 of the Indian Electricity Rules, 1956 and in supersession of Haryana Government, Power Department, Notification No. 26/4/1999-2 Power, dated the 29th August, 2013, the Governor of Haryana hereby directs the levy of following scale of fees for inspection, testing and for decision on appeal pertaining to the electrical installations:-

Scale A

For an inspection, examination of test of any generating station, receiving station or other place in which energy is generated, transferred or distributed at a pressure of 100 volts or more.

Low, Medium, High tension and extra High tension, installations for each installation:-

1	Connected load/installed capacity upto and including 15 Kilo Volt Ampere	₹ 175/-
2	Connected load/installed capacity exceeding 15 Kilo Volt Ampere but not exceeding	₹360/-
	25 Kilo Volt Ampere	_
3	Connected load/installed capacity exceeding 25 Kilo Volt Ampere but not exceeding	₹700/-
	100 Kilo Volt Ampere.	
4	Connected load/installed capacity exceeding 100 Kilo Volt Ampere but not exceeding	₹1730/-
	500 Kilo Volt Ampere.	
5	Connected load/installed capacity exceeding 500 Kilo Volt Ampere but not exceeding	₹3460/-
	1000 Kilo Volt Ampere.	
(C	₹ 2460/ ± ₹75/
6	Connected load/installed capacity exceeding 1000 Kilo Volt Ampere	₹ 3460/-+ ₹ 75/-
		per additional 100
		Kilo Volt Ampere

- (a) For every alteration or replacement in an installation without increasing the capacity ₹ 175/- of the same.
- (b) In case of generating station or other place where electrical energy is generated, the fee shall be paid by the licencee, or the person generating the energy, while in the case of a receiving station, the fee shall be paid by the owners.

Scale B

or part thereof.

For the inspection, examination or test of extra High tension, High tension, Medium and Low tension lines carried on the support.

(i) For a line upto and including a length of 2 Kilometer ₹350/-

(ii) For every additional length of 1 Kilometer of the line or a part thereof. ₹ 40/-

Scale C

For an inspection and issue of a certificate under Rule 82(3) of the Indian ₹210/-Electricity Rules, 1956.

The fee shall be paid by the person who proposes to erect a new building or structure or to take any addition or alteration in or upon any building or a structure.

Scale D

For the testing of Energy Meter.

2

1 Testing of single phase meter.

(i) Upto and including 50 ampere	₹85/-
(ii) Above 50 ampere	₹ 110/-
For testing poly phase meter.	
(i) Upto and including 50 ampere.	₹160/-

(ii) Above 50 ampere. ₹210/-

3. If a meter is to be tested on the consumer's premises, double the amount of the fee prescribed in clauses 1 and 2 shall be charged. The fee shall be paid by the party, which requests for the testing.

Scale E

For making a pressure test on the applicant's premises in respect of:-

(i)	Low Pressure Installation.	₹175/-
(ii)	Medium Pressure Installation.	₹350/-
(iii)	High Pressure Installation.	₹700/-

Scale F

- 1. For giving a decision on an appeal under Rule 6 (1) of the Indian Electricity Rules, 1956, in respect ₹175/-of Low Pressure, Medium Pressure and High Pressure Installations.
- 2. For giving a decision on an appeal under Rule 52 (1) of the Indian Electricity Rules, 1956, in ₹350/respect of Low Pressure, Medium Pressure and High Pressure Installation.

Note:

- 1. In case a second or subsequent inspection is necessitated as a result of the initial inspection, the re-inspection fee shall be upto double the amount of fee charged for initial inspection but in no case shall be less than the initial inspection fee.
- 2. For converting the connected load in Kilo Watt to Kilo Volt Ampere the power factor prevailing in the power utility at that time, shall be taken into account for the purpose of calculation of inspection fee.
- 3. The revised rates shall be applicable with effect from the date of publication of the notification.
- 4. These revised rates would further be increased by 20% after every three years from the date of applicability of these rates.

ANURAG RASTOGI, Principal Secretary to Government Haryana, Power Department.

54775—C.S.—H.G.P., Chd.